प्र.पत्र 68/21 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

विरुद्ध पाल — प्लाट — सार्वजनिक निर्माण विभाग

10-8-21 दिनांक 10-8-21 को राजकीय भवन का ओर से पत्रावली पेश हुई। P.O. ... पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब.....
दिनांक 12/10/21 को पेश हो।

प्रशासन गांव के सांथ आदेशान, [illegible]
ग्राम [illegible] का नाम जगवाड़ा
दि. 12/10/21 पत्रावली आज दिनांक को कोर्ट ... पेश हुई
गांव वाले नोटिस में सहमति नहीं होने के कारण इस लिए पत्रावली
न्यायालय में दिनांक 13/1/22 को पेश हो।
शिविर प्रभारी
जिला जयपुर

13-1-22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... पेश हुई। 29/3/22

29-3-22 पत्रावली पेश हुई। P.O. ग्रा. जगवाड़ा दि. 2.9.1 को जमाबंदी ऐट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 9.6.22 को पेश हो।

9-6-22 पत्रावली पेश हुई। वकील e प्रार्थी उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब सीज SB
दिनांक 23/8/22 को पेश हो।

23/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब एक बार सीज
दिनांक 17/11/22 को पेश हो।

23/9/22 पत्रावली आज प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वकील विड्रॉ प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कि धारा 212 से सम्बन्धित मूल वाद को विड्रॉ कर खारिज करा लिया है तथा वाद को खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा कि प्रा.प्र. 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा को भी विड्रॉ कर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर